



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272357
CG-DL-E-08052026-272357

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2216]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 2026/वैशाख 17, 1948

No. 2216]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 7, 2026/VAISAKHA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2026

का.आ. 2307(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे पानीपत से गोरखपुर सेक्शन के कि.मी. 508+414 सेकि.मी. 578+699 तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चार/ छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में

हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे पानीपत से गोरखपुर सेक्शन के कि.मी. 508+414 से कि.मी. 578+699 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बहराइच	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Greenfield Highway के कि.मी 508.414 से कि.मी 530.83 तक	उत्तर प्रदेश	बहराइच	महसी	1 हुसेनपुर
					बहराइच	1 रेडालाल
2	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बहराइच/श्रावस्ती	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Greenfield Highway के कि.मी 530.83 से कि.मी 558.73 तक	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	इकौना	1 सेमगढा 2 रानी कुन्डा 3 सलवरिया 4 भुतहा 5 चिचडी 6 मझौवा सुमाल 7 डिगुराजोत 8 अली नगर
3	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बलरामपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Greenfield Highway के कि.मी 558.73 से कि.मी 578.699 तक	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	बलरामपुर	1 टेंगनहिया मानकोट 2 जबदही 3 कलन्दरपुर

[फा. सं. 27013/1/DPRShamliGorakhpur/Pkg-10/2025/PIU-BRH]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2026

S.O. 2307(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land for High Speed Access Controlled Greenfield Highway Panipat to Gorakhpur Section from Km. 508+414 to Km. 578+699 for building (4/6 lane, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH

SCHEDULE

Land acquisition on High Speed Access Controlled Greenfield Highway Panipat to Gorakhpur Section from Km. 508+414 to Km. 578+699 in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SLAO, Bahraich	Greenfield Highway KM 508.414 TO KM 530.83	UTTAR PRADESH	BAHRAICH	Mahasi	1 Husenpur
					Bahraich	1 Renda Lal
2	SLAO, Bahraich/ Shravasti	Greenfield Highway KM 530.83 TO KM 558.73	UTTAR PRADESH	SHRAVASTI	Ikauna	1 Semghda
						2 Rani Kunda
						3 Salwariya
						4 Bhutha
						5 Chichadi
						6 Majhauwa Sumal
						7 Digura Jot
						8 Ali Nagar
3	ADM (F/R), Balrampur	Greenfield Highway KM 558.73 TO KM 578.699	UTTAR PRADESH	BALRAMPUR	Balrampur	1 Tengnahia Mankot
						2 Jabdahi
						3 Kalanderpur

[F. No. 27013/1/DPRShamliGorakhpur/Pkg-10/2025/PIU-BRH]

SHAIKH AMINKHAN, Director